उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, बोकारो।
(जिला राजस्व शाखा)

पत्रांक 1410/रा0,

प्रेषक,

अपर समाहर्त्ता,
–सह–
जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी,
बोकारो।

सेवा में,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

बोकारो, दिनांक 24/06/2020

विषय :– **झारखण्ड राज्य खाद्य निगम, राँची से प्राप्त ऑनलाईन शिकायत की जॉच कर जॉच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महाशय,

उपरोक्त विषयक, झारखण्ड राज्य खाद्य निगम, राँची से प्राप्त ऑनलाईन शिकायत के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक 1359/रा0, दिनांक 16.06.2020 के द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो से जॉच कर जॉच प्रतिवेदन की मांगी की गई थी। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो ने अपने पत्रांक 803/आ0, दिनांक 20.06.2020 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। जॉच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि शिकायत संख्या– **16062020006, 15002020028, 11062020031, 11062020012, 11062020029, 11062020037, 11062020026, 12062020012, 11062020025, 11062020020, 15062020018, 15062020012, 15062020005, 15062020002, 14062020022, 14062020009, 12062020021, 11062020011, 21022020005, 2102202004, 20022020011, 20022020009, 20022020008, 2022020007, 19022020021, 28012020002, 08012020001 एवं 25092019007** में शिकायतकर्त्ताओं द्वारा सफेद राशन कार्ड को रद्द करने की मॉग की गयी है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो द्वारा सफेद राशन कार्ड को रद्द करने हेतु आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड एवं राशन कार्ड की छायाप्रति संलग्न कर पुराना समाहरणालय, बोकारो के कमरा नम्बर-19 में जमा करने हेतु उन्हें सूचित किया गया है, ताकि जाँचोपरांत सफेद राशन कार्ड को रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।

अतः अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन समर्पित।

विश्वासभाजन,

अपर समाहर्त्ता,
–सह–
जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी,
बोकारो।

24/06/2020